

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 189455  
सं0सं0-या0वि 7 (SGSY)- 02/08 खंड- 1

पटना, दिनांक 25/6/2014

प्रेषक,

श्रीधर चिरीबोलू,  
आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

पटना, रोहतास, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पू0 चम्पारण, प0 चम्पारण, गोपालगंज, सुमस्तीपुर,  
सहरसा, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, खगडिया, भागलपुर एवं बाँका ।

विषय :- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद  
अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण के संबंध में ।


प्रसंग :- BRLPS/Proj/490/13/5786 दिनांक- 06.03.2014, विभागीय पत्रांक- 182310 दिनांक-  
02.04.2014 एवं पत्रांक- 186925 दिनांक- 02.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा SGSY योजना के  
अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण करने का  
अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके जिले से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है ।

अतएव आपसे अनुरोध है कि अविलंब राशि हस्तांतरित कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध  
कराने की कृपा की जाय । प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से ई-मेल भी किया जाय ।

विश्वासभाजन




(श्रीधर चिरीबोलू)

आयुक्त, स्वरोजगार ।

जापांक 189455 पटना, दिनांक 25/6/2014

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री जी के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार  
पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



आयुक्त, स्वरोजगार ।